सूचना का अधिकार

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय,भोपाल

क्र. एफ 11–90 / 2019 / सूअप्र / 1–9/479 भोपाल, दिनांक 21 / 06 / 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर्स,
समस्त कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का पालन किए जाने के संबंध में ।

––––000––––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल से प्राप्त पत्र कमांक क्यू/रासूआ/उमरिया/2019/7602, दिनांक 10.05.2019 के साथ आवेदक श्री वरूण नामदेव, जिला–उमरिया द्वारा मा. मुख्य सूचना आयुक्त को संबोधित ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त ज्ञापन के बिन्दुओं पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(धरणेन्द्र कुमार जैन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

पृ.क्र. एफ 11–90 / 2019 / सूअप्र / 1–9/480 भोपाल, दिनांक 21 / 06 / 2019

प्रतिलिपीः–

सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की उनके पत्र कमांक क्यू/रासूआ/उमरिया/2019/7602, दिनांक 10.05.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (सूअप्र)

सामान्य प्रशासन विभाग (सू.अ.प्र.)
पंजी. क्र. 1138/20.19.../1-9
दिनांक 13/05/2019

(स्पीडपोस्ट से)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

35-B, "सूचना भवन" अरेरा हिल्स, भोपाल 462011

दूरभाष नं. 0755-2556871, 2556879 website: www.sic.mp.gov.in

भोपाल, दिनांक 10/05/2019

क्रमांक-Q/रासूआ/ उमरिया/2019/ 7602

801
13/5/19

प्रति,

मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ,
बल्लभ भवन, भोपाल, म.प्र.।

विषय : सूचना के अधिकार में पालन एवं संशोधन बाबत्।

सन्दर्भः जिला उमरिया, म.प्र. के समस्त आरटीआई कार्यकर्ता, व्दारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 13,02,2019

⊡⊡⊡

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र व्दारा जिला उमरिया के आरटीआई कार्यकर्ता श्री वरूण नामदेव व्दारा ज्ञापन दिनांक 13.02.2019 आयोग को प्रेषित किया गया है, जिसमें मा0 मुख्य सूचना आयुक्त व्दारा दिये गये आदेशानुसार बिन्दु क्रमांक 01 से 09 आपके कार्यालय से संबंधित है। अतः आवेदन की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

(मा. मुख्य सूचना आयुक्त के आदेशानुसार)
संलग्नः यथोपरि।

(पराग करकरे)
अवर सचिव
राज्य सूचना आयोग

D:\BHPL\Bhopal\Ane\Vividh.doc(1)

आवेदन

-2-

श्रीमान मुख्य सूचना आयुक्त महोदय

मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग 35 बी, अरेरा हिल्स भोपाल (म0प्र0)

विषयः— सूचना के अधिकार मे पालन एवं संशोधन बावत्–

महोदय,

निवेदन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (6) (1) के प्रावधानो के तहत सरकार के अधीन शासकीय कार्यालयों मे लगने वाले सूचना के अधिकार अधिनियम के पत्रों का निराकरण नही किया जाता। प्रार्थी को दी गई समयावधि पर पत्रों की जानकारी नही दी जाती जिससें अनावश्यक प्रार्थी को परेशानी झेलनी पडती है।

1. यह कि शासन के नियमानुसार शासकीय विभागों एवं वित पोषित संस्था जिन जिन विभागों मे सूचना का अधिकार अधिनियम लागू है, उन सभी विभागों एवं वित्त पोषित संस्था मे सूचना का अधिकार संबंधित नियम कार्यालय मे नही लिखे होने से आम लोगो को परेशानी होती है, जिसे लिखा जाये।
2. यह कि अधिकतर विभागों मे अपीलीय अधिकारी का नाम व पता, संपर्क नंबर अंकित नही है, जिसे अंकित कराया जाये।
3. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी जिले के कलेक्टर को बनाया जाये, क्योंकि संयुक्त संचालक संभागीय अधिकारी को बनाने से अपीलार्थी का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एव अन्य परेशानियां होती है।
4. यह कि विभागों मे पारदर्शिता बनाये रखने हेतु सूचना पटल पर लोक दस्तावेज जो सूचना का अधिकार नियामानुसार शासकीय विभागों मे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार आवेदन करने पर दिये जा सकते है, जिसे आम जन की जानकारी हेतु प्रदर्शित की जाये।
5. यह कि समस्त विभाग मे एक कर्मचारी को इसी कार्य के लिए पदस्त किया जाये जो समय पर सूचना का अधिकार आवेदन की जानकारी दे। इससे शासकीय कार्य प्रभावित न हो सके।
6. यह कि अपीलार्थी की प्रथम व द्वितीय अपील उसकी उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों पर सुना जाये, क्योंकि अपीलार्थी को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक व समय अभाव के कारण वह नही पहुंच पाता या अपीलार्थी के प्रथम या द्वितीय अपील का खर्चा जिस कार्यालय मे सूचना का अधिकार का आवेदन किया गया है, उस विभाग के लोक सूचना अधिकारी से दिलवाया जाये ताकि अपीलार्थी को अनेक परेशानियों का सामना न करना पडे।
7. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण समय सीमा के भीतर करने की व्यवस्था लागू की जाये, कई बार देखा जाता है कि वकीलो के आवेदनों पर ही शीघ्र विचार किया जाता है जिससें दूसरे आवेदक अनावश्यक परेशान होता है। जिससे कानून का उलंघन होता है।
8. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी पर जानकारी न देने पर जुर्माने का प्रावधान होने के बाद भी प्रथम अपील अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया जाता है।
9. यह कि सूचना का अधिकार से संबंधित नियम कार्यालय मे चस्पा करवायें जायें ताकि आम जनता को सूचना का अधिकार नियम कानून की सही व सटीक जानकारी हो सके।
10. यह कि म0प्र0 राज्य सूचना आयोग द्वारा अपीलार्थी को पत्र भेजे जाने पर संदर्भित आवेदन से संबंधित पत्र कमांक, विभाग का नाम, दिनांक को संदर्भित करें। जिससे अपीलार्थी समझ सके कि किस आवेदन का पत्र आया हुआ है।
11. यह कि राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदेश के हर जिलो में शिविर लगाकर अपीलार्थी की द्वितीय अपील का समय सीमा मे निराकरण किया जाये।
12. यह कि द्वितीय अपील का निराकरण अपीलार्थी के फोन नंबर या वीडियों कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से एवं अन्य सरलीकरण का उपयोग करते हुए निराकरण करवाया जाये जिससे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम का लाभ असान तरीके से मिल सके।

अतः श्री मान् से निवेदन है कि आवेदक के दिये गए आवेदन के हर बिन्दू पर विचार करते हुए जन हित व लोक हित मे लागू किया जाये जिससें प्रेरित होकर देश के अन्य राज्य भी सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन करा सके। इससे अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम की सुविधा व लाभ प्राप्त हो सके।

दिनांक......... 13-02-2019

स्थान.............. उमरिया जि0 उमरिया

समस्त आरटीआई कार्यकर्ता

जिला–उमरिया (म0प्र0)

Varun Namdev

2615
18-2-19